

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,  
रातपुड़ा भवन, भोपाल

कर्मिक 597/आउशि/19  
प्रति,

9-7-19

1. कुल सचिव,  
समस्त विश्वविद्यालय,  
मध्यप्रदेश ।
2. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,  
उच्च शिक्षा,  
इंदौर/उज्जैन/भोपाल/नर्मदापुरम/ग्वालियर/रीवा/जबलपुर/सागर संभाग,  
मध्यप्रदेश ।
3. प्राचार्य,  
समस्त शासकीय महाविद्यालय,  
मध्यप्रदेश ।

विषय:-शासकीय महाविद्यालयों में कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में निःशक्त जन विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिये जीवन निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्ता राशि हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने बाबत ।

राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में निःशक्त जन विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिये जीवन निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्ता की राशि प्राप्त करने हेतु वर्ष 2019-20 में छात्र-छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिये प्रदेश के प्रमुख समाचार-पत्रों एवं रोजगार निर्माण में विज्ञापित प्रकाशित किया जा रहा है । आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 31.10.2019 निर्धारित की गई है ।

अतः छात्र-छात्राओं के आवेदन अग्रेषित करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखा जावे कि आवेदन पत्र दिनोंक 31.10.2019 तक समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा को प्राप्त हो जायें । मार्गदर्शिका सिध्दांत की प्रति एवं आवेदन-पत्र का प्रारूप उच्च शिक्षा विभाग की बैबसाइट [www.highereducation.mp.gov.in](http://www.highereducation.mp.gov.in) पर देखा जा सकता है । निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जा सकेगा ।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

आयुक्त  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश



बेटी है तो कल है

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

पु. क.- अजा/अजजा (प्रको.)2019/1558

दिनांक:- 13 AUG 2019

- 1/ समस्त विभागाध्यक्षों/निदेशकों/समन्वयकों, समस्त अध्ययनशालाओं, एवं संस्थानों की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सूनिश्चित करने हेतु प्रस्तुत ।
- 2/ विभागाध्यक्ष, आई.टी. सेक्टर की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत ।
- 3/ कुलपति के सचिव, एवं कुलसचिव के निज सहायक की ओर सूचनार्थ ।

उप कुलसचिव  
अजा/अजजा(प्रको.)

अंतिम तिथि 31.10.  
2019

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र.शासन  
सतपुडा भवन, भोपाल 462004  
// विज्ञापन //

शासकीय महाविद्यालयों में कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में निःशक्त जन विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिये जीवन निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्ता देने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने बाबत ।

योजना वर्ष 2019-20

राज्य शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में निःशक्तजन विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिये जीवन निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्ता देने का वर्ष 2009-10 से निर्णय लिया है यह योजना सतत है, जो निरन्तर चलेगी इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 के लिये नियम/मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नानुसार हैं :-

1. पात्रता:- ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो ।
- अ. जिसने कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में शिक्षा प्राप्त करने हेतु शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लिया हो ।
- ब. 10+2 शिक्षा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश अथवा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल से नियमानुसार न्यूनतम अंक प्राप्त किये हों ।
- स. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछडा वर्ग को विद्यार्थियों को जाति-प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा जो कलेक्टर/सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया गया हो ।
- द. छात्र-छात्राओं के पालकों की आय सीमा म.प्र.शासन द्वारा निर्धारित रूपये 1,00,000/-वार्षिक (रूपये एक लाख) की अधिकतम सीमा से अधिक न हो। (छात्र-छात्राओं का स्वयं का आय प्रमाण-पत्र किसी भी स्थिति में मान्य करने योग्य नहीं होगा) ।  
विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावक द्वारा प्रस्तुत आय प्रमाण पत्र के संबंध में म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक दिनांक 25-9-2014 द्वारा सरलीकरण किया गया है, जिसके अनुसार आय प्रमाण पत्र निर्धारित परिशिष्ट "एक" में प्रस्तुत किया जाना है (निर्धारित परिशिष्ट "एक" वेबसाईट पर अपलोड किया गया है) ।
- य. मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो जिसके प्रमाण पत्र के संबंध में म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक दिनांक 25-9-2014 द्वारा सरलीकरण किया गया है, जिसके अनुसार आय प्रमाण पत्र निर्धारित परिशिष्ट "एक" में प्रस्तुत किया जाना है (निर्धारित परिशिष्ट "एक" वेबसाईट पर अपलोड किया गया है) ।
- र. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया हो । जिसमें छात्र-छात्राओं की निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होना अनिवार्य होगा ।
- ल. निःशक्त छात्र-छात्रा को म.प्र. स्थित शासकीय महाविद्यालयों में ही नियमित रूप से अध्ययनरत होना आवश्यक होगा ।
- व. निर्धारित कोटे के अनुसार आरक्षित वर्ग के छात्रों को जीवन निर्वाह एवं परिवहन भत्ते की पात्रता होगी ।



बेटी है तो कल है

निरंतर.....2

2. **निर्वाह एवं परिवहन भत्ता राशि-निम्नानुसार प्रदान की जावेगी:-**  
 अ- कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में ली जाने वाली फीस ।  
 ब- रुपये 1,500/- प्रतिमाह निर्वाह भत्ता ।  
 स- नगर निगम क्षेत्र में 500/- तथा नगर पालिका क्षेत्र में 300/- रुपये प्रतिमाह परिवहन भत्ता ।
3. **विद्यार्थी** जिस शिक्षा के लिये जीवन निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्ता प्राप्त करेगा, उसके लिये वह अन्य छात्रवृत्ति अथवा भत्ते प्राप्त नहीं करेगा, यदि उसे पूर्व से ही कोई छात्रवृत्ति अथवा भत्ते प्राप्त हो रहे हो तो इन भत्तों को प्राप्त करने के लिये पूर्व से प्राप्त भत्ते या छात्रवृत्ति छोड़नी पड़ेगी । अर्थात् केवल एक समय में एक ही छात्रवृत्ति राशि एक ही विभाग से प्राप्त करने की पात्रता होगी ।
4. नियमित विद्यार्थी अध्ययनरत पाठ्यक्रम के किसी सेमेस्टर अथवा वर्ष में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसी सेमेस्टर एवं वर्ष के लिये दोबारा अध्ययन करने हेतु शिक्षण शुल्क, निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्तों के पात्र नहीं होंगे ।  
 परन्तु अनुत्तीर्ण सेमेस्टर/सेमेस्टर वर्ष में पुनः परीक्षा उत्तीर्ण होने पर अगले सेमेस्टर/वर्ष में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत होने पर चालू शिक्षण सत्र में शिक्षण शुल्क एवं निर्वाह/परिवहन भत्ता को प्राप्त करने की पात्रता होगी ।
5. **चयन प्रक्रिया :-**  
 अ. कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में शिक्षा प्राप्त करने के लिये केवल विद्यार्थियों की संख्या की सीमा में (10+2) स्तर पर प्राप्त शिक्षा के प्राप्तांकों की मरिटे के आधार पर बनायी गई चयन सूची में क्रमानुसार छात्रों का चयन होगा ।  
 ब. कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में शिक्षा प्राप्त करने हेतु 2000 विद्यार्थियों को अधिकतम सीमा/कोटे के अधीन रहते हुए विद्यार्थियों को निर्धारित राशियों का भुगतान किया जावेगा ।  
 स. इस योजना का क्रियान्वयन उच्चशिक्षा के समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त/संचालकों के कार्यालय द्वारा किया जावेगा ।  
 द. योजना की समीक्षा, क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक व अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निश्चित अवधि में उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित की जावेगी ।
6. **आवेदन प्रस्तुत करने एवं स्वीकृत करने की प्रक्रिया**  
 अ. निःशक्त छात्र-छात्रा आवेदन अपने संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा को प्रस्तुत करेंगे ।  
 ब. म.प्र. के बाहर शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अपने आवेदन-पत्र सस्था प्रमुख/प्राचार्य के माध्यम से प्रमाणित कराकर आयुक्त उच्च शिक्षा भोपाल को विनियम/अध्यादेश में उल्लेखित निर्धारित तिथि/अवधि के भीतर भेजना होगा ।  
 स. निःशक्तजन विद्यार्थियों को कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में ली जाने वाली फीस निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्ता के लिये प्रतिवर्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा, एवं पूर्व वर्षों में प्राप्त शिक्षण शुल्क, निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्ता की जानकारी देना होगी ।  
 द. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जाँच क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक एवं शासकीय अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यों की समिति द्वारा संयुक्त रूप से की जावेगी । परीक्षण उपरान्त प्राप्त आवेदकों के आवेदन पत्र इसी समिति द्वारा स्वीकृत किये जावेंगे ।



बेटी है तो कल है

- य. कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में ली जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्ते की राशि नगद देय न होकर अकाउंट पेई चैक के माध्यम से भुगतान की जावेगी। उक्त योजना पर होने वाला व्यय इस विभाग द्वारा, स्वीकृत बजट के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
- र. ऐसे सभी मामले जिनकी व्यवस्था इन नियमों में नहीं है, उसमें आयुक्त उच्च शिक्षा का निर्णय अंतिम होगा।
07. आवेदन पत्र संबंधित संस्था प्रमुख से अग्रेषित कराकर संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा के नाम से दिनोंक 31.10.19 तक प्राप्त हो जाना चाहिये। अन्य जानकारी [www.highereducation.mp.gov.in](http://www.highereducation.mp.gov.in) उच्च शिक्षा विभाग की बैबसाईट पर उपलब्ध है। साथ ही विभाग के क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा/विश्वविद्यालय के कुल सचिव एवं शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों से भी प्राप्त की जा सकती है।
08. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आयुक्त  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश



बेटी है तो कल है

निरंतर .....4

आवेदन का प्रारूप  
शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य/पिछडा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निःशक्तजन विद्यार्थियों को कम्प्यूटर एवं प्रबंधन में शिक्षा ग्रहण करने के लिये जीवन निर्वाह एवं परिवहन भत्ता देने हेतु आवेदन पत्र ।

आवेदन पत्र वर्ष 2019-20

संकाय	विषय	पंजीयन तिथि	अंतिम तिथि 31.10.2019
1.	छात्र-छात्रा का पूरा नाम		
2.	पिता/अभिभावक का पूरा नाम		
3.1.	विद्यार्थी का पता स्थायी/ पत्र व्यवहार का पता		
3.2.	ई.मेल.आई.डी.		
3.3.	दूरभाष/मो.नं.		
3.4.	बैंक खाता कं.		
3.5.	बैंक का नाम		
3.6.	बैंक का आई.एफ.सी.कोड		
3.7.	आधार कार्ड की प्रति		
4.	महाविद्यालय का पूरा नाम जिसमें आवेदक अध्ययनरत है ।		
5.	छात्र-छात्रा किस कक्षा में अध्ययनरत है , कक्षा में प्रवेश का दिनांक		
6.	कम्प्यूटर/प्रबंधन		
7.	छात्र-छात्रा की जन्म तिथि		
8.	शैक्षणिक योग्यताओं का विवरण सत्यापित सूची संलग्न करें		
9.	निःशक्तता का प्रकार एवं निःशक्तता का प्रतिशत प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें		
10.	छात्र-छात्रा का धर्म		
11.	विगत वर्ष में छात्र-छात्रा द्वारा उत्तीर्ण परीक्षा का नाम		
12.	विगत वर्ष में छात्र-छात्रा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्वाह एवं परिवहन भत्ता स्वीकृत किया गया था अथवा नहीं ।		
13.	विगत वर्ष जीवननिर्वाह एवं परिवहनभत्ता प्राप्त विद्यार्थी निम्न जानकारी दें 6. विगत वर्ष परीक्षा का नाम एवं वर्ष 7. महाविद्यालय का नाम 8. स्वीकृत शिक्षण शुल्क 9. जीवन निर्वाह भत्ते की राशि 10. परिवहन भत्ते की राशि		
14.	विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावक द्वारा प्रस्तुत वार्षिक आय प्रमाण पत्र के संबंध में म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी-3-7-2013-3-एक दिनांक 25-9-2014 द्वारा सरलीकरण किया गया है, जिसके अनुसार आय प्रमाण पत्र निर्धारित परिशिष्ट "एक" में प्रस्तुत किया जावे (निर्धारित परिशिष्ट "एक" वेबसाईट पर अपलोड किया गया है ) ।		
15.	मूल निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करें, विज्ञापन अनुसार ।		



बेटी है तो कल है

निरंतर .....5

//5//

घोषणा

7. मैं एतद द्वारा यह घोषित करता हूँ/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिये गये विवरण पूर्णतः सत्य हैं ।
  8. मैं यह भी घोषित करता हूँ/करती हूँ कि आवेदित जीवन निर्वाह एवं परिवहन भत्ते की राशि के लिये मेरा चयन किया जाता है तो मैं पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से कार्य में संलग्न रहूँगा/रहूँगी । और यह कि मैं किसी अन्य स्त्रोंतों से कोई दूसरी राशि प्राप्त नहीं करूँगा/करूँगी ।
  9. मैं यह भी घोषित करता/करती हूँ कि मैं कोई सेवा या व्यवसाय आदि नहीं करूँगा/करूँगी ।
  10. मैं यह भी घोषित करता हूँ कि यदि मेरे द्वारा अध्ययनरत अवधि में कहीं नौकरी/व्यवसाय करते हुए पाये जाने पर अर्थात् घोषणा पत्र में दिये गये शर्तों के विपरीत कार्य करने पर शासन प्रति जीवन निर्वाह एवं परिवहन भत्ते की राशि के रूप में दी गई राशि को ब्याज सहित वापिस करूँगा/करूँगी ।
  11. स्थान :-
  12. दिनांक :-
- संलग्न :-सहपत्रों की संख्या

आवेदक के हस्ताक्षर



बेटी है तो कल है

निरंतर .....6

## शासकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....आत्मज  
 श्री/श्रीमती .....महाविद्यालय/संस्थान  
 में दिनांक .....को कम्प्यूटर/प्रबंधन.....  
 .....में नियमित/पूर्णकालिक छात्र-छात्रा के रूप में प्रवेश  
 दिया गया है । मैंने इस आवेदन पत्र की प्रविष्टियों की जाँच कर ली है वे सही है इनका व्यवहार  
 एवं चरित्र उत्तम है ।

उक्त छात्र-छात्रा का उक्त कक्षा के लिये महाविद्यालय में शिक्षण शुल्क के रूप में वर्ष .....  
 .....के लिये रुपये .....शब्दों में .....  
 .....जमा किये जाने होंगे ।

संस्था प्रमुख का नाम तथा पदनाम  
 हस्ताक्षर एवं सील



बेटी है तो कल है

निरंतर .....7

//7//

क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा म.प्र.के कार्यालयीन उपयोग हेतु

प्रामाणित किया जाता है कि छात्र-छात्रा श्री /कुमारी .....आत्मज श्री/श्रीमती .....  
 .....महाविद्यालय/संस्थान .....में दिनांक .....को कक्षा .....  
 .....में नियमित रूप से प्रवेश दिया गया है छात्र-छात्रा का व्यवहार/चरित्र उत्तम है ।

छात्र-छात्रा का उक्त कक्षा के लिए महाविद्यालय/संस्थान में .....शिक्षण वर्ष .....के  
 लिये रुपये ..... शब्दों में .....जमा किये जाने होंगे

निर्वाह भत्ता

छात्र-छात्रा को उक्त कक्षा के लिये महाविद्यालय/संस्थान में नियमित रूप से अध्ययन हेतु वर्ष .....  
 .....के लिये रुपये.....शब्दों में .....  
 निर्वाह भत्ता स्वीकृत किये जाते हैं ।

उक्त निर्वाह भत्ता मात्र 10 माह के लिये स्वीकृत होगा , स्वीकृत 10 माह की राशि वर्ष में दो  
 किशतों में अर्थात् 5-5 माह की राशि संबंधित छात्र-छात्रा को देय होगी ।

परिवहन भत्ता

छात्र-छात्रा को उक्त कक्षा के लिये महाविद्यालय/संस्थान में नियमित रूप से अध्ययन हेतु वर्ष .....  
 .....के लिये रुपये.....शब्दों में .....  
 परिवहन भत्ता स्वीकृत किये जाते हैं ।

उक्त परिवहन भत्ता मात्र 10 माह के लिये स्वीकृत होगा , स्वीकृत 10 माह की राशि वर्ष में दो  
 किशतों में अर्थात् 5-5 माह की राशि संबंधित छात्र-छात्रा को देय होगी ।

नोट:- आवेदन पत्र अमान्य करने की स्थितिमें स्पष्ट कारण/टीप अंकित करें .....

..स्थान  
 दिनांक

नाम एवं पदनाम  
 हस्ताक्षर एवं सील



बेटी है तो कल है